


20/02/26


पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।  
पत्रावली वास्तव साक्ष्यवादी एक तरफ  
दि. 09/03/26 को पेश हो

  
20/2/26

09/03/26

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित।  
स्वयं वादीगण भी अनुपस्थित। तीन बार  
आवाज लगाई, लेकिन कोई भी उपस्थित  
नहीं हुआ। अतः प्रकरण अन्तर्गत आदेश  
9 नियम 8 CPC अधिनियम दायरी अधिनियम पेश  
में खारिज की जाती है। पत्रावली केवल  
शुमार दोकर नम्बर से कम दोकर बाद  
तामील दायित्व इफ्तदार हो।



  
09/03/26  
उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला सातवाड (सतवाड)